फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी/वादी

न्त

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

मदनलाल वगैरह

म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 65/2011

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय गैर हाजिर। प्रकरण हाजा काफी पुराना है तथा दिनांक 01.07.2011 से लम्बित है तथा प्रकरण में वकील वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे है। ऐसा प्रतीत होता है कि वकुलाय प्रकरण को चलाने में इच्छुक नहीं है। वकुलाय को गत तारीख पेशी पर उपस्थिति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। परन्तु वावजूद हिदायत के पक्षकारान/अधिवक्ता पक्षकारान् गैर हाजिर रहे। गत तारीख पेशी पर उपस्थिति हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित नहीं हुये है तथा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 9 नियम 8 के तहत वावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	